तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
4/11/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील अपीलार्थी के बहस सुनी। आदेश अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णीत हुआ। होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 01/2022 (GCMS No. 2022/254)

अपीलाण्ट्स
1. बाबूराम पुत्र माहिंगाराम
   जाति जाट निवासी खडाली तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टान
1. ग्राम पंचायत राणासर खुर्द जरिये सरपंच
2. डूंगराराम पुत्र मांहिगाराम
3. नेनूदेवी पत्नी मांहिगाराम
   जाति जाट निवासी नई खड़ाली तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
4. तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 5 दिनांक 24.06.1995 ग्राम नई खडाली ग्राम पंचायत राणासर खुर्द द्वारा पारित किया

उपस्थित :–
1. **श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलाण्ट**
2. **रेस्पोडेन्टान – अनुपस्थित**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 5/11/22

प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 एवं अन्य खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र राणासर खुद के राजस्व ग्राम नई खडाली में खेत खसरा नम्बर 30 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33 रकबा 15.7908 हैक्टेयर की आयी हुई है, जिसमें अपीलॉण्ट व उत्तरदातागण 2 व 3 का सह खातेदारों के साथ संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट के पिता अपने दादा तुलछा से पूर्व ही फौत हो चुके थे, अपीलाण्ट के दाता तुलछा का स्वर्गवास होने पर फौतगी के नामान्तरकरण संख्या 5 स्वीकृत करते वक्त अपीलाण्ट का बचपन का बोलचाल में बोले जाने वाला नाम जसाराम पुत्र माहींगाराम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट का सही व वास्तविक नाम बाबूराम पुत्र माहिंगाराम है। अन्य दस्तावेजात दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता पास बुक व अन्य समस्त दस्तावेजों में अपीलाण्ट का सही नाम बाबूराम पुत्र माहिंगाराम दर्ज है। अपीलाण्ट को अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे राजस्व राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की दुरूस्ती कराने हेतु उक्त अपील प्रस्तुत आवश्यक होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टान को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्टान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता बाबूलाल विश्नोई की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट का नाम उक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि में जसाराम पुत्र माहिंगाराम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजात में जसाराम पुत्र माहिंगाराम दर्ज है अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट व रेस्टपोडेन्टान तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र राणासर खुर्द के राजस्व ग्राम नई खडाली में खेत खसरा नम्बर 30 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33 रकबा 15.7908 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का अशुद्ध नाम ''जसाराम पुत्र माहिंगाराम'' के स्थान पर ''बाबूराम पुत्र माहिंगाराम'' शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी में एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक ......4/11/22......को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी
(S.D.O) गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.28 17:05:27 IST
Reason: SelfAttested